

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

विभागीय मैनुअल

मुख्यालय
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ रायपुर

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
इन्डेक्स

स.क्र.	अध्याय	विषय	पेज
1	1	प्रस्तावना	03
2	2	विभाग का मुख्य कर्तव्य	04
3	3	अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	05 से 19
4	4	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख	20 से 25
5	5	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	26
6	6	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण	27 से 31
7	7	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	32 से 33
8	8	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	34 से 48
9	9	निर्णय लेने की प्रक्रिया	49
10	10	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	50 से 54
11	11	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	55 से 57
12	12	प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना), निर्माण, विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिए	58
13	13	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	59
14	14	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	60
15	15	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	61 से 62
16	16	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं	63
17	17	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	64
18	18	अन्य उपयोगी जानकारियां	65

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अध्याय— 1

प्रस्तावना

- 1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत शासन द्वारा अनुमोदित है। यह अधिनियम शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया है।
- 1.2 इस अधिनियम के लागू होने से जनतांत्रिक व्यवस्था में शासकीय कार्यों के संबंध में जानकारी रखने या प्राप्त करने के लिए आम नागरिकों को अधिकार होगा कि वह शासन की नीतियों, कार्यों तथा व्यवस्था के संबंध में पूर्ण परिचित हो सकें। इससे शासन के कार्यों में जनसहभागिता बढ़ेगी और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता द्वारा किया जा सकेगा और कार्यों पर नजर रखी जा सकेगी।

अध्याय— 2 (मैनुअल—1)

विभाग के संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

भारतीय संविधान की अनुसूची सात में कारागार (जेल) राज्य का विषय है और जेल प्रबंधन का दायित्व राज्य सरकार का है। पूर्व में जेल को एक निरोध गृह के रूप में देखा जाता था जहां अपराधियों को तरह-तरह के कठोर दण्ड दिए जाते थे। भारतीय संविधान ने भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जेल विभाग का प्रमुख दायित्व बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, उनके स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा एवं रहने के लिए आवास की व्यवस्था करना, मानवीय मूल्य की गरिमा के अनुरूप खाने पीने के लिए उत्तम भोजन व्यवस्था करना, बौद्धिक एवं मानसिक विकास हेतु स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें जेल के भीतर विभिन्न क्रियाकलापों में संलिप्त रखना है। प्राथमिक कर्तव्य माननीय न्यायालयों के आदेश पर बंदियों को जेलों में निरूद्ध रखना तथा दी गई सजा को नियमानुसार भुगताना है। तदनुसार जेल विभाग के कार्य निम्नानुसार हैं:—

- (1) बंदियों के सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था।
- (2) खान-पान एवं रहन सहन की व्यवस्था।
- (3) स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था।
- (4) स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण।
- (5) शिक्षा की व्यवस्था।
- (6) व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था।
- (7) पुनर्वास में सहायता (शासन की बंदी कल्याण तथा पुनर्वास नीति के अनुसार)।
- (8) माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन।
- (9) बंदियों की अपील व्यवस्था एवं विधिक सहायता।
- (10) बंदियों से संबंधित सुधारात्मक अन्य समस्त कार्य।

अध्याय- 3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (अ) विभागाध्यक्ष कार्यालय की पद संरचना

क्र.	पदनाम
1.	महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (भा.पु.से.)
2.	जेल उप महानिरीक्षक
3.	सहायक जेल महानिरीक्षक
4.	वित्त अधिकारी (वित्त सेवा)
5.	विधि अधिकारी (विभागीय)
6.	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी
7.	उद्योग अधीक्षक
8.	कार्यालय अधीक्षक
9.	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षक अधिकारी
10.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
11.	शीघ्र लेखक ग्रेड-02
12.	शीघ्र लेखक
13.	सहायक ग्रेड-1
14.	लेखापरीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)
15.	लेखापरीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)
16.	लेखापाल
17.	सहायक ग्रेड-2
18.	सहायक ग्रेड-3
19.	संगणक (कम्प्यूटर ऑपरेटर)
20.	स्टेनो टायपिस्ट
21.	प्रहरी (के.जे. रायपुर स्थानांतरित)
22.	प्रहरी अर्दली (के.जे. रायपुर स्थानांतरित)
23.	वाहन चालक
24.	जमादार
25.	भृत्य
26.	भृत्य (जिलाध्यक्ष दर पर)
27.	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)
28.	स्वीपर (अंशकालीन)
29.	मुख्य प्रहरी (जेल मुख्यालय को आबंटित)
30.	प्रहरी (जेल मुख्यालय को आबंटित)
31.	रिजर्व गार्ड मुख्य प्रहरी (जेल मुख्यालय को आबंटित)
32.	रिजर्व गार्ड प्रहरी(जेल मुख्यालय को आबंटित)

(ब) प्रदेश की जेलों (मैदानी कार्यालयों) की पदसंरचना

क्र.	पदनाम
1	अधीक्षक केन्द्रीय जेल
2	अधीक्षक जिला जेल
3	मेडीकल ऑफिसर
4	मेडिकल ऑफिसर (टी.बी.रोग विशेषज्ञ)
5	महिला चिकित्सा अधिकारी
6	पदेन अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी (अंशकालीन)
7	सहायक चिकित्सा अधिकारी (अंशकालीन)
8	विधि अधिकारी
9	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी
10	उप जेल अधीक्षक
11	कल्याण अधिकारी
12	परिवीक्षा अधिकारी
13	उप अधीक्षक उद्योग
14	सहायक जेल अधीक्षक
15	लेखापाल
16	सहायक ग्रेड-2
17	मेलनर्स
18	लेब टेक्नीशियन
19	प्रमुख मुख्य प्रहरी
20	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक
21	वरिष्ठ बढई प्रशिक्षक
22	प्रेस फोरमेन
23	कम्प्यूटर आपरेटर
24	शिक्षक
25	मैट्रन
26	मुख्य प्रहरी
27	सहायक शिक्षिका
28	बढई प्रशिक्षक
29	बुनाई प्रशिक्षक
30	सिलाई प्रशिक्षक
31	सहायक ग्रेड-3
32	प्रेस मशीनमेन
33	प्रेस कंपोजिटर
34	आफसेट इन्स्ट्रक्टर
35	प्लेट मेकिंग मेन
36	बाइन्डर
37	फार्मासिस्ट ग्रेड-02
38	व्यायाम प्रशिक्षक
39	प्रहरी
40	वाहन चालक
41	डाटा एंट्री आपरेटर
42	लोहार प्रशिक्षक
43	भृत्य

44	स्वीपर
45	परिचारिका (नर्स)
46	एक्स-रे मशीन ऑपरेटर
47	रिजर्व गार्ड्स - मुख्य प्रहरी
48	रिजर्व गार्ड्स - प्रहरी
49	आमोहर
50	स्वीपर (अंशकालीन)

**(स) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
(जेल नियमावली के अन्तर्गत प्रावधानित)**

पद का नाम— महानिदेशक			
शक्तियां	प्रशासकीय	01. अस्थायी नियुक्ति का अधिकार	नियम 67
		02. अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त करने, स्थानान्तरण करने, पदोन्नत करने, सेवा से पृथक करने और दण्ड देने का अधिकार	नियम 70
		03. न्यायिक अधिकार	नियम 71
	वित्तीय	01. व्यय पर नियंत्रण	नियम 64
		02. देयकों (बिलों) की जांच	नियम 65
		03. स्वीकृति का अधिकार	नियम 66
		04. स्थानीय बाजार से क्रय	नियम 68
		05. बंदियों के उपचार के लिए आकस्मिक व्यय की राशि	नियम 68 क
		06. विशेष सेवाओं के लिए पारितोषिक	नियम 69
	अन्य	01 जेलों का निरीक्षण	नियम 72
		02. शासन और समस्त अधीक्षकों/जेल विभाग के अन्य अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम	नियम 73
		03. जेलों के प्रशासन का वार्षिक प्रतिवेदन	नियम 74
कर्तव्य	01. प्रत्येक राज्य सरकार के अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए एक महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा और वह, उस राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए उस सरकार के अधीन राज्य क्षेत्रों में सभी कारागारों पर साधारण नियंत्रण और अधीक्षण रखेगा.		धारा 5(1)
	02. बंदियों के लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था करना.		धारा 7

पद का नाम— जेल उपमहानिरीक्षक

शक्तियां	प्रशासकीय	जेल महानिदेशक की मुख्यालय से अनुपस्थिति के समय, जेल उप महानिरीक्षक समस्त आवश्यक प्रकरणों में महानिदेशक के सम्पूर्ण अथवा कुछ अधिकारों को प्रयोग में लायेंगे.	नियम 75
कर्त्तव्य	राज्य शासन पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए एक अतिरिक्त महानिरीक्षक कारागार और एक अथवा अधिक उप- महानिरीक्षक कारागार की नियुक्ति कर सकेगा और वह अधिनियम के अन्तर्गत महानिदेशक के सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा. सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं सभी कार्यों का निष्पादन करेगा अथवा वह उसे तत्समय लागू किसी विधान के अन्तर्गत करेगा, जैसा कि महानिदेशक राज्य शासन को पूर्वानुमति के साथ उन्हें प्रत्यायुक्त करेगा.		धारा 5 (2)
पद नाम— जेल अधीक्षक			
शक्तियां	प्रशासकीय	1. महानिदेशक के आदेशों के अधीन रहते हुए अधीक्षक अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड और नियंत्रण संबंधी सभी मामलों में कारागार का प्रबंध करेगा.	धारा 11

	2. ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं, किसी केन्द्रीय कारागार या प्रेसिडेन्सी नगर में स्थित किसी कारागार से भिन्न किसी कारागार का अधीक्षक, उन सभी आदेशों का पालन करेगा, जो कारागार अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम से असंगत न हो तथा जो उस कारागार के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाएं और ऐसे सभी आदेशों की तथा उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट महानिदेशक को देगा.	धारा 11
कर्त्तव्य	1. अधीक्षक द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख— अ— प्रविष्ट किये बंदियों का रजिस्टर. ब— ऐसी पुस्तके, जिसमें यह दिखाया गया हो कि प्रत्येक बंदी को कब छोड़ा जाना है. स— दण्ड पुस्तिका, जिसमें कारागार संबंधी अपराधों के लिए बंदियों को दिए गए दण्ड दर्ज किए जाते हैं. द— संदर्शक पुस्तिका, जिसमें कारागार के प्रशासन से सम्बद्ध किन्ही मामलों के बारे में संदर्शक द्वारा व्यक्त विचार दर्ज किये जाते हैं. ई— बंदियों से लिए गए धन या अन्य वस्तुओं का अभिलेख, तथा वे सभी अन्य अभिलेख जो धारा 59 के अधीन बने नियमों द्वारा विहित किए जाएं.	धारा 12
	2. केन्द्रीय जेल का पूर्णकालिक अधिकारी के प्रभार में होना.	नियम 86
	3. अधीक्षक का समस्त नियमों एवं नियमन से अवगत होना.	नियम 89
	4. अधीक्षक का समस्त कारावास अपराधों की जांच करना और दिए गये दण्डादेशों को अभिलिखित करना.	नियम 90
	5. दण्ड पंजी.	नियम 91
	6. जेल का अवलोकन.	नियम 92
	7. रात्रि अवलोकन में आश्चर्य का सिद्धान्त अपनाना.	नियम 93
	8. चौकसी परेड करवाना.	नियम 94
	9. साप्ताहिक परेड करवाना.	नियम 95
	10. जेल के समस्त मामलों में अधीक्षक का महानिदेशक	नियम 96

	के साथ स्वतंत्र रूप से पत्र व्यवहार करना.	
	11. ठेके की कार्यवाही करना.	नियम 97
	12. अधीनस्थ अधिकारियों के कर्तव्यों का विभाजन करना.	नियम 98
	13. अधीक्षक का अतिरिक्त जेलरों के कर्तव्यों की सही-सही व्याख्या करना.	नियम 100
	14. समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देना.	नियम 101
	15. प्राप्तियों तथा व्यय पर सतर्कता से नियंत्रण रखना.	नियम 102
	16. अनाज भण्डारण का अवलोकन करना.	नियम 103
	17. माह में 2 बार अवशिष्ट नगद धनराशि की जांच करना.	नियम 104
	18. प्रतिदिन राजस्व पंजियों की कैशबुक के साथ जांच करना.	नियम 105
	19. वर्ष में दो बार भण्डारों, मशीनों आदि की जांच करना.	नियम 106
	20. आवश्यकता से अधिक सामान (Surplus Stock)	नियम 107
	21. जब अधीक्षक का परिवर्तन हो तब की प्रक्रिया.	नियम 108
	22. अधीक्षक का चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों को प्रभाव देना.	नियम 109
	23. अधीक्षक का जेल के बगीचों का अवलोकन एवं निगरानी करना.	नियम 110
	24. कैदियों की घरेलू नौकरों के रूप में नियोजन पर रोक.	नियम 111
	25. प्रतिवेदनों और रिटर्न्स का समय पर प्रस्तुतिकरण.	नियम 112
	26. विचाराधीन कैदी या संदिग्ध पागल कैदी की मृत्यु की सूचना यथासंभव शीघ्र ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को भेजी जायेगी जिसके वारंट या आदेश के अधीन ऐसा विचाराधीन कैदी या संदिग्ध पागल कैदी निरूद्ध किया गया हो.	नियम 183

पदनाम— चिकित्सा अधिकारी			
शक्तियां	प्रशासकीय	रोगियों के आहार को बढ़ाना अथवा परिवर्तन करना.	नियम 122

कर्त्तव्य	1. अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए चिकित्सा अधिकारी कारागार के स्वच्छता संबंधी प्रशासन का भारसाधक होगा और उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो धारा 59 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित किए जाएं.	धारा 13	
	2. कुछ मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाना.	धारा 14	
	3. बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगा.	धारा 15	
	4. चिकित्सा अधिकारियों के कर्त्तव्य, कैदियों से संबंधित मामलों, रोगग्रस्त होने पर उनका उपचार और जेलों के स्वास्थ्य को, अंगीकार करते हैं.	नियम 113	
	5. प्रतिदिन जेल का अवलोकन और साप्ताहिक निरीक्षण पर उपस्थिति.	नियम 117	
	6. कैदियों के प्रवेश एवं रिहाई पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिलेख	नियम 118	
	7. प्रत्येक दिन अस्पताल जाना और बीमार कैदियों के विषय कर्त्तव्य.	नियम 121	
	8. जेल और जेल परिसरों का साप्ताहिक अवलोकन करना.	नियम 124	
	9. चिकित्सा अधिकारी का, महानिरीक्षक द्वारा प्रसारित आदेशों का पालन करना.	नियम 128	
	10. दवाओं, दवाओं के भण्डारों और मांग पत्रों के संबंध में कर्त्तव्य.	नियम 129	
	11. चिकित्सा अधिकारियों का जेल में नौकरी हेतु प्रत्याशियों की जांच करना.	नियम 130	
	12. समस्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा संबंधी देखभाल करना.	नियम 131	
पदनाम— उप जेल अधीक्षक			
शक्तियां	प्रशासकीय	अधीनस्थ कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर कर सकेगा.	नियम 188
	1. जब तक कि अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक को अन्य निवास करने की अनुज्ञा नहीं देता वह कारागार में ही निवास करेगा.		धारा 16 (1)

कर्त्तव्य	2. महानिदेशक की लिखित मंजूरी के बिना उप जेल अधीक्षक किसी अन्य नियोजन से अपना कोई संबंध नहीं रखेगा.	धारा 16 (2)
	3. किसी बंदी की मृत्यु पर उप जेल अधीक्षक तुरन्त उसकी सूचना अधीक्षक और चिकित्सीय अधीनस्थ को देगा.	धारा 17
	4. उप जेल अधीक्षक, धारा 12 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों की निरापद अभिरक्षा, सुपुर्दगी वारंटों तथा अन्य सभी दस्तावेजों के लिए जो उसकी देखरेख में विश्वस्ततः रखे गए हैं, तथा बंदियों से लिए गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होगा.	धारा 18
	5. उप जेल अधीक्षक, अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी रात को जेल से अनुपस्थित नहीं रहेगा.	धारा 19
	6. उप जेल अधीक्षक, जेल तथा कैदियों और उसके प्रबंध से संबंधित समस्त विधियों तथा नियमों से और महानिदेशक के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों से स्वयं को पूर्णतया अवगत रखेगा.	नियम 171
	7. कैदियों के अभिरक्षा और जेल में अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा.	नियम 172
	8. कैदियों को बाहर निकालने या लॉकप-अप में बंद करने के समय उपस्थित रहेगा.	नियम 173
	9. किसी कैदी के जेल में प्रवेश पर उप जेल अधीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात से अपना समाधान कर ले कि वारंट नियमानुकूल है.	नियम 174
	10. उप जेल अधीक्षक वारंटों की अभिरक्षा और उनके निबंधनों के कड़ाई से पालन के लिए उत्तरदायी होगा.	नियम 175
	11. श्रम के विभाजन के संबंध में कर्त्तव्य.	नियम 176
	12. उप जेल अधीक्षक भोजन सामग्री की माप-तौल, पकाने एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होगा.	नियम 177
	13. चिकित्सीय परिचर्या की अपेक्षा करने वाले कैदियों को चिकित्सक अधीनस्थ के समक्ष प्रस्तुत करना.	नियम 178
	14. शासकीय अस्पताल में बंदियों की चिकित्सा.	नियम 178-क

	15. चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक अधीनस्थ निर्देशों का पालन किया जाना.	नियम 179
	16. किसी कैदी की मृत्यु हो जाने पर सूचना तत्काल जेल अधीक्षक को देगा.	नियम 180
	17. जेल में परिरुद्ध किसी विदेशी व्यक्ति की मृत्यु होने पर रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को करेगा.	नियम 181
	18. महिला कैदियों की मृत्यु के संबंध में कर्त्तव्य.	नियम 182
	19. नियमों के भंग करने के बारे में कार्यवाही.	नियम 184
	20. प्रतिबंधित वस्तुओं के कब्जे में होने का संदेह होने पर कैदियों की तलाशी ले सकेगा.	नियम 185
	21. उप जेल अधीक्षक, जेल में आने वाले अप्राधिकृत परिदर्शकों को प्रतिषिद्ध कर सकेगा.	नियम 186
	22. उप जेल अधीक्षक दक्ष प्रहरी तथा रिजर्व गार्ड के लिए उत्तरदायी होगा.	नियम 187
	23. कार्यालयीन कार्य तथा धन संबंधी उत्तरदायित्व.	नियम 189
	24. जेल प्रयोजनों के लिए निजी धन का उपयोग नहीं किया जायेगा.	नियम 190
	25. भण्डार के संबंध में उत्तरदायित्व.	नियम 191
	26. निलंबन या पदत्याग पर समस्त संपत्तियों की तालिका देना.	नियम 192
	27. उप जेल अधीक्षक, प्रतिदिन जेल रिपोर्ट पुस्तक लिखेगा.	नियम 193
	28. नए जेल अधीक्षक को सभी विशेष नियमों तथा आदेशों से अवगत कराना.	नियम 194
पदनाम— उद्योग अधीक्षक		
कर्त्तव्य	1. सम्पूर्ण राज्य की समस्त जेलों के औद्योगिक प्रबंध, उनके सामयिक निरीक्षण और उद्योग विभाग में जहां आवश्यक हो उनके सुधार हेतु परामर्श के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो जेल उद्योगों के अधीक्षक कहलायेंगे.	नियम 159 (1)
	2. जेल उद्योगों के अधीक्षक स्वयं को पूर्ण रूप से जेल नियमों से परिचित करायेगे.	नियम 159 (2)

	3. वह उत्पादन के क्रय-विक्रय के समुचित प्रबंध करेंगे और महानिदेशक को लाभ व हानि का लेखा प्रस्तुत करेंगे.	नियम 159 (3)
पदनाम- उप अधीक्षक उद्योग		
	1. किसी जेल में जहां बड़ा प्रबंधित उद्योग चलाया जा रहा हो, ऐसी जेल में उद्योग विभाग की समस्त शाखाओं के अधीक्षण के दृष्टिकोण से, एक अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो कारखानों के उप-अधीक्षक कहलायेगा.	नियम 160
	2. आदेश एवं अनुशासन बनाये रखने में जेल अधिकारियों की सहायता करना.	नियम 162
	3. उप उद्योग अधीक्षक उत्पादन के कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे और अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन जेल में वस्तुओं के निर्माण से संबंधित उन समस्त प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करेंगे ताकि शासन को अधिकतम लाभ हो.	नियम 163
	4. कच्चे सामान की पूर्ति हेतु सर्वोत्तम प्रबंध किए जायेंगे.	नियम 165
	5. उत्पादन से संबंधित समस्त लेखे उप अधीक्षक की देखरेख में रखे जायेंगे जो लेखों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होंगे.	नियम 166
	6. उप अधीक्षक, उद्योग अधीक्षक के अनुमोदन, आदेशों और नियंत्रण के अधीन उत्पादन की समस्त शाखाओं में उपयोग हेतु वांछित कच्चा माल क्रय कर सकते हैं.	नियम 167
	7. उत्पादन विभाग के संबंध में उप अधीक्षक के कर्तव्य.	नियम 168
	8. उप अधीक्षक एक रिपोर्ट पुस्तक रखेगा, जिसमें वह उन समस्त विषयों की प्रविष्टियां करेगा जिनके बारे में अधीक्षक के आदेश अपेक्षित होते हों.	नियम 169

पदनाम— सहायक जेल अधीक्षक

कर्त्तव्य	1. जहां किसी जेल के लिए कोई उप या सहायक जेलर (वर्तमान में सहायक जेल अधीक्षक) नियुक्त किया जाता है, वहां वह अधीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए कारागार अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन जेलर (वर्तमान में उप जेल अधीक्षक) के किसी भी कर्त्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम होगा और जेलर (वर्तमान में उप जेल अधीक्षक) के सभी उत्तरदायित्व उस पर होंगे।	धारा 20
	2. सहायक जेलर (सहायक जेल अधीक्षक), जेलर (उप जेल अधीक्षक) के सीधे आदेशों के अधीन ऐसे विशेष कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो कि अधीक्षक द्वारा विहित किये जाएं।	नियम 196
	3. सहायक जेलर (सहायक जेल अधीक्षक), जेलर (उप जेल अधीक्षक) के आदेशों का अनुपालन करेंगे।	नियम 197
पद नाम – मुख्य प्रहरी		
कर्त्तव्य	1. अपने अधीनस्थ प्रहरियों का उनके कर्त्तव्यों के निर्वाहन में अधीक्षण करना।	नियम 212-ए
	2. जेल के प्रबंध में हरसंभव तरीके से सहायता करना और कैदियों को फरार होने से रोकने तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने में सहायता करना।	नियम 212-बी
	3. उससे श्रेणी में वरिष्ठ समस्त अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना।	नियम 212-डी
	4. समस्त नित्य कर्त्तव्यों में जेलर (उप जेल अधीक्षक) की सहायता करना।	नियम 212-ई
	5. जेलर (उप जेल अधीक्षक) की उपस्थिति में प्रतिदिन सुबह शयनवार्डो, कोठियों और अन्य कमरों को खोलना और कैदियों की गणना करना।	नियम 212-एफ
	6. संडासों के उपयोग और सभी स्नान एवं भोजन परेडों का अधीक्षण करना।	नियम 212-एम
	7. रसोईयों को भोजन देना और यह देखना कि भोजन के किसी भाग, विशेषतः तेल का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है।	नियम 212-एन
	8. समस्त जालियों, दरवाजों और सभी प्रकार के रास्तों आदि को सुरक्षित रूप से बंद करवाना।	नियम 212-पी

	9. जेलर (उप जेल अधीक्षक) की उपस्थिति में कैदियों की गणना करना, तलाशी लेना और उन्हें अपने-अपने वार्डों और कोठरियों में प्रत्येक शाम को विहित समय पर ताले में बंद करना।	नियम 212- एस
	10. दिन और रात के दौरान प्रत्येक बार गार्ड बदलते समय कैदियों की जांच पड़ताल करना।	नियम 212-ओ
पदनाम— प्रहरी		
कर्त्तव्य	1. प्रत्येक प्रहरी जेल अधीक्षक अथवा जेलर (उप जेल अधीक्षक) द्वारा उसे दी गई विशिष्ट ड्यूटी करेगा।	नियम 236(1)
	2. कारखानों के प्रभारी प्रहरी कारखानों में रखे समस्त औजारों और संपत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।	नियम 236(2)
	3. समस्त प्रहरियों का कर्त्तव्य केवल फरारी रोकना ही नहीं होगा बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह देखने में मदद करना भी होगा कि कैदी जेल नियमों का पालन करते हैं, परिश्रम से काम करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं।	नियम 236(3)
	4. प्रहरी, अपने प्रभार में कैदियों की गिनती करेगा और मुख्य प्रहरी को कैदियों की संख्या का ब्यौरा देगा।	नियम 236(3- ए)
	5. प्रहरी, ड्यूटी पर खड़े रहेगा अथवा चलता रहेगा, किसी भी स्थिति में कोई प्रहरी ड्यूटी के समय अपना बेल्ट नहीं निकालेगा और न ही लेटेगा, बैठेगा।	नियम 236(3- बी)
	6. प्रहरी, अपने प्रभार में कैदियों की संख्या की जानकारी रखेगा।	नियम 236(3- सी)
	7. अपनी देखरेख में रह रहे समस्त कैदियों की तलाशी करना।	नियम 236(3- डी)
	8. तम्बाखू अथवा तम्बाखू पीने के उपकरण अथवा दवाईयां अथवा पैसा अथवा अस्वीकृत खाद्य वस्तुओं को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग को रोकना।	नियम 236(3- जी)
	9. प्रहरी यह देखेगा कि कोई भी कैदी अनाधिकार अपने बाड़े को नहीं छोड़े।	नियम 236(3- आई)
	10. कैदियों के कपड़े, बिस्तर, रिग्स, बेड़ियां, पीतल के तसले, प्लेट्स और प्यालों की सफाई देखेगा।	नियम 236(3-

		एम)	
	11. कैदियों की बीमारी के कोई भी लक्षण अथवा किसी कैदी के बीमार होने की शिकायत मिलने पर उसे जेलर के ध्यान में लायेगा।	नियम 236(3-एन)	
	12. फरारी के उद्देश्य से जेल अधिकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र अथवा हमला अथवा वर्जित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए और जेल के किसी नियम के उल्लंघन की रिपोर्ट करना।	नियम 236(3-ओ)	
	13. कैदियों को एकत्रित करना और परेड के लिए तैयार करना।	नियम 236(3-क्यू)	
	14. यदि कोई कैदी लपाता हो जाए तो तुरंत अपनी सीटी बजाना।	नियम 236(3-आर)	
	15. अपने हथियार और साज समान साफ तथा अच्छी और तुरंत उपयोग की स्थिति में रखना।	नियम 236(3-टी)	
पदनाम- गेटकीपर			
	अन्य	गेटकीपर के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी या कारागार का कोई अन्य अधिकारी, कारागार में या उसके बाहर ले जाई जाने वाली किसी भी वस्तु की परीक्षा कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है जिसके बारे में यह संदेह है कि कोई प्रतिषिद्ध वस्तु कारागार में ला रहा है या कारागार से बाहर ले जा रहा है या कारागार की कोई संपत्ति बाहर ले जा रहा है और यदि ऐसी कोई वस्तु या सम्पत्ति पाई जाए तो वह तुरंत उसकी सूचना उप जेल अधीक्षक को देगा।	धारा 21
कर्त्तव्य	1. मुख्य प्रहरी, द्वारपाल के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।	नियम 223	

	2. प्रथम पहर का द्वारपाल जेल खोलने के समय ड्यूटी पर उपस्थित होगा तथा प्रत्येक द्वारपाल सम्यक रूप से कार्यमुक्त होने तक द्वार पर ही रहेगा।	नियम 224	
	3. द्वारपाल दो गेट रजिस्टर रखेगा एक रजिस्टर में वह जेल में आने/जाने वाले कैदियों/व्यक्तियों का नाम अभिलिखित करेगा तथा दूसरे में वह द्वार से होकर जेल के भीतर आने/जाने वाले सामान, औजार या भण्डारों की जानकारी लिखेगा।	नियम 225	
	4. द्वारपाल एक समय में केवल एक ही गेट खोलेगा।	नियम 226	
	5. मुख्य गेट की चाबियों की अभिरक्षा।	नियम 227	
	6. कैदियों को रोकने तथा तलाशी लेने की शक्ति।	नियम 232	
	7. नियम के प्रतिकूल जेल से बाहर ले जाए गए कैदियों के मामलों की रिपोर्ट करेगा।	नियम 233	
	8. लॉक-अप के समय द्वारपाल भीतरी तथा बाहरी मुख्य द्वार की चाबियों को अपनी अभिरक्षा के बाहर नहीं जाने देगा।	नियम 234	
पदनाम— जिला दण्डाधिकारी			
शक्तियां	प्रशासकीय	1. आपात स्थिति के मामलों में जिला दण्डाधिकारी का जेलों का प्रभारी होना।	नियम 79
		2. अधीक्षक का जिला दण्डाधिकारी के आदेशों का पालन करना।	नियम 81
	अन्य	जिला मुख्यालय की जेल का प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करेंगे।	नियम 82
कर्त्तव्य	जेल के अनुशासन के संबंध में जिला दण्डाधिकारी का महानिदेशक के नियंत्रण के अन्तर्गत रहना।	नियम 80	
	जेल में अधीक्षक की रिक्तता पर जिला दण्डाधिकारी के कर्त्तव्य	नियम 84	
	केन्द्रीय जेल के अधीक्षक की अनुपस्थिति पर जिला दण्डाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा उप-जिलाध्यक्ष द्वारा अधीक्षक के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग.	नियम 85	

अध्याय— 4 (मैनुअल—3) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

जेल विभाग से संबंधित नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
1	कारागार अधिनियम 1894	अधिनियम	भारत में कारागारों से संबंधित विधि का संशोधन किया जाना
2	छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968	नियम	कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 09) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 बनाया गया है।
3	छत्तीसगढ़ जेल पूर्ति नियम, 1968	नियम	जेलों के लिए आवश्यक खाद्यान्न, सब्जियां, दूध, चारा तथा इंधन आदि वस्तुएं प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय पूर्तिकर्त्ताओं से सीलबंद निविदाएं (टेण्डर्स) आमंत्रित कर खरीदा जाना।
4	छत्तीसगढ़ निरोध आदेश, 1971	आदेश	मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट, 1971 (16 सन् 1971) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छ0ग0 निरोध आदेश, 1971 जारी किया गया है।
5	छत्तीसगढ़ बंदी (कारागार में निरुद्ध बंदियों का स्थानान्तरण) आदेश, 1968	आदेश	बंदियों का स्थानान्तरण अधिनियम, 1950 की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा दूसरे राज्यों से संबंधित बंदियों का स्थानान्तरण के संबंध में छ0ग0 बंदी (कारागार में निरुद्ध बंदियों का स्थानान्तरण) आदेश, 1968 जारी किया गया है।
6	बंदियों का स्थानान्तरण अधिनियम, 1950	अधिनियम	बंदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य पर स्थानान्तरण हेतु अधिनियम
7	छत्तीसगढ़ बोस्टल	अधिनियम	छ0ग0 में बोस्टल संस्था की स्थापना

	अधिनियम, 1928		और विनियम के लिए तथा उनमें किशोर अपराधियों के लिए निरोध और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करने को अधिनियम
8	छत्तीसगढ़ बोस्टल नियम, 1960	नियम	छ0ग0 बोस्टल अधिनियम, 1928 (1928 का 9) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन बोस्टल संस्थानों के विनियमन प्रबंध और वर्गीकरण के लिए छ0ग0 बोस्टल नियम, 1960 बनाया गया है।
9	छत्तीसगढ़ बंदी प्रतिबंधात्मक मुक्ति विधान, 1954	अधिनियम	किमिनल प्रोसीजर सन् 1898 की धारा 401 में कोई भी बात विहित क्यों न हो, जबकि कोई व्यक्ति कारावास की दण्डाज्ञा के अधीन बंदीगृह में परिरुद्ध हो और शासन को उसके पूर्ववत्त और बंदीगृह में उसके आचरण से यह प्रतीत होता हो कि यदि बंदीगृह से उसे मुक्त कर दिए जाने से यह संभावना है कि वह अपराध से विरत रह कर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह अनुमति पत्र द्वारा उसे मुक्त कर दिए जाने की अनुज्ञा इस प्रतिबंध पर देय कि उसे किसी शासकीय पदाधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका वही धर्म हो जो बंदी का है या उस आशय के लिए शासन द्वारा मान्य संस्था या समिति की देखरेख या प्राधिकार के अधीन रखा जाये, यदि ऐसा अन्य व्यक्ति, संस्था या समिति उसे अपनी देखभाल में रखने के इच्छुक हों।
10	छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954	नियम	छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 (क्र. 15 सन् 1954)

	नियम, 1964		की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छ0ग0 बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 बनाया गया है।
11	छत्तीसगढ़ दण्डादेश निलंबन नियम, 1971	नियम	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (5 सन् 1898) की धारा 401 की उप धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश निलंबन नियम, 1971 (कारावास का दण्ड भुगत रहे किसी व्यक्ति का पैरोल पर छोड़ा जाना) बनाया गया है।
12	बंदी अधिनियम, 1900	अधिनियम	किसी न्यायालय से परिरूद्ध बंदियों के संबंध में विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम।
13	बंदियों की (न्यायालय की उपस्थिति) अधिनियम, 1955	अधिनियम	बंदियों की उनका साक्ष्य प्राप्त करने या किसी आपराधिक दोष का उत्तर देने के लिए न्यायालयों में उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए एक अधिनियम।
14	छत्तीसगढ़ बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958	नियम	बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का 32) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस विषय पर बनाये गये सभी नियमों का अतिक्रमण करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छ0ग0 बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958 बनाया गया है।
15	बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1985	अधिनियम	बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) का उस रीति में संशोधित किया जाये जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है। उक्त बंदी अधिनियम, 1900 के भाग 6 के उपरान्त भाग 6-क के रूप में

			स्थापित किया गया है। वह अधिनियम राज्य सरकार को बंदियों को अल्प समय के लिए छुट्टी (पैरोल) पर मुक्त करने के अधिकार प्रदान करता है।
16	छत्तीसगढ़ बंदी छुट्टी नियम, 1989	नियम	बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) की धारा 31-ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छ0ग0 बंदी छुट्टी नियम, 1989 बनाया गया है। ये नियम छत्तीसगढ़ में न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट किए गए तथा छत्तीसगढ़ की जेलों में दण्ड भुगत रहे बंदियों पर लागू होंगे।
17	छत्तीसगढ़ निरूद्ध व्यक्ति (निरोध की शर्तें) नियम, 1997	नियम	स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 5 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निरूद्ध व्यक्ति (निरोध की शर्तें) नियम, 1997 आदेश किया गया है।
18	छत्तीसगढ़ कारागार में परिरूद्ध पागल अपराधी का उपचार नियम, 2000	नियम	कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कारागार में परिरूद्ध पागल अपराधी का उपचार नियम, 2000 बनाया गया है।
19	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000	अधिनियम	देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की उचित देखभाल की व्यवस्था करने, उनके संरक्षण और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के पोषण द्वारा उपचार और न्याय-निर्णयन तथा मामलों के व्ययन

			में बाल-मैत्री अवधारणा को अंगीकार करते हुए बालकों के सर्वोत्तम हित में इस अधिनियमित के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके अंतिम पुनर्वास हेतु विधि विरोधी किशोरों से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने हेतु अधिनियम।
20	जेल महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियम	नियम एवं आदेश	कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9वां) की धारा 31 एवं 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस संबंध में बनाये गये नियमों का अधिक्रमण करते हुए महानिरीक्षक कारागार द्वारा दीवानी बंदियों का रखरखाव, विचाराधीन बंदियों का रखरखाव एवं सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लौह डाला जाना संबंधी नियम एवं आदेश प्रतिपादित किये गए हैं।
21	छत्तीसगढ़ की जेलों में आपराधिक बंदियों के परिरोध संबंधी सामान्य निर्देश	निर्देश	छत्तीसगढ़ की जेलों में आपराधिक बंदियों के परिरोध संबंधी सामान्य निर्देश।
22	विविध विषय	निर्देश	जेल विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश, प्रहरियों को अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश, अराजपत्रित अधिकारी के लिए सेवा-पुस्तिका, अभिवृद्धियां, उप अधीक्षकों व जेलर इत्यादि की वर्गीकृत सूची का प्रकाशन एवं अधिकारियों को प्रहरी अर्दली की पात्रता संबंधी निर्देश।
23	सेवा की वेशभूषा	निर्देश	विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्दी एवं साज-सज्जा का निर्धारण।
24	वेशभूषा का प्रयोग	निर्देश	वेशभूषा का प्रयोग संबंधी निर्देश।
25	शस्त्र गोला-बारूद रखरखाव एवं प्रयोग पैमाना	निर्देश	शस्त्र गोला-बारूद रखरखाव एवं प्रयोग पैमाना संबंधी निर्देश

26	युद्ध संबंधी (मिलिट्री) प्रशिक्षण	निर्देश	जेलर, सहायक जेलर एवं वार्डर स्कवार्ड ड्रिल एवं शस्त्र प्रयोग ड्रिल एवं बंदूक संबंधी अभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त करगें संबंधी निर्देश।
27	प्रतिभूति एवं प्रतिभूति बंध-पत्र	निर्देश	प्रतिभूति एवं प्रतिभूति बंध-पत्र संबंधी निर्देश।

अध्याय 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण:—

जेल विभाग के कार्यप्रणाली के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर होगी. अतः इसमें जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श एवं भागीदारी का कोई औचित्य नहीं है।

अध्याय 6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, रायपुर में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां, पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानान्तरण, वेतन वृद्धियां, वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति, निलंबन एवं बहाली, सेवानिवृत्ति का कार्य।
- (2) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदक्रम सूची तैयार करना।
- (3) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करना।
- (4) जेल अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सराहनीय सेवाओं के लिए सुधारात्मक/विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही करना तथा जेल मैनुअल के नियम 69(ए) के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करना।
- (5) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की अपील से संबंधित कार्यवाही करना।
- (6) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का संधारण/प्रतिकूल टीका संबंधी अभ्यावेदनों के निराकरण का कार्य करना।
- (7) धारा 80 के अन्तर्गत तथा न्यायालयीन प्रकरण (अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बंदियों) का कार्य करना।
- (8) अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण संबंधी कार्य।

- (9) महालेखाकार के लेखा परीक्षण की आपत्तियों के निराकरण/लोक लेखा समितियों की आपत्तियों पर शासन को प्रतिवेदन भेजना।
- (10) राज्य की जेलों के लेखाओं का विभागीय स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षण कराकर जेलों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना।
- (11) जन शिकायत निवारण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग एवं अन्य के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं संबंधितों को अवगत कराये जाने संबंधी कार्य
- (12) राज्य की जेलों से वार्षिक सांख्यिकीय आंकड़े संकलित कर एकजाई जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को भेजे जाने का कार्य।
- (13) राज्य की जेलों से बंदियों की छःमाही चिकित्सा परीक्षण संबंधी आंकड़े संकलित कर निर्धारित प्रारूप में एकजाई जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजने का कार्य।
- (14) भारत सरकार नई दिल्ली को मैट्रिक्स फारमेट में सांख्यिकीय आंकड़ों की तिमाही जानकारी भेजने का कार्य।
- (15) राज्य की जेलों से मासिक पापुलेशन में प्राप्त करने का कार्य।
- (16) राज्य की जेलों को वाहन आबंटन, उपलब्ध वाहनों का मरम्मत कराने का कार्य।
- (17) जेल मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन, टी.ए., मेडिकल देयकों, जीपीएफ से अस्थाई अग्रिम/पार्ट फायनल का आहरण एवं संवितरण तथा लेखाओं से संबंधित अन्य कार्य।
- (18) जेल मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का जीपीएफ, पास बुक संधारण, सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण एवं देय स्वत्वों के निराकरण का कार्य।
- (19) छत्तीसगढ़ छुट्टी नियम, 1989 के अन्तर्गत जेलों में निरूद्ध बंदियों के पश्चात्पूर्ती अस्थाई मुक्ति प्रकरणों के निराकरण का कार्य, बंदी स्थानान्तरण,

- बंदियों की मृत्यु एवं फरारी व अन्य घटनाओं की सूचना शासन को भेजे जाने संबंधी कार्य।
- (20) राज्य की जेलों से योगा, शिक्षा, लोक अदालत, विधिक सहायता, साक्षरता, स्वास्थ्य शिविर, उपचार संबंधी आंकड़े संकलित करने संबंधी कार्य।
- (21) राज्य की जेलों में निरुद्ध बंदियों को बंदी पारिश्रमिक एवं बंदियों के प्रकरणों में पीड़ित पक्षों को पीड़ित पक्ष की राशि का भुगतान कराने संबंधी कार्य।
- (22) राज्य की जेलों से लोक सेवा गारंटी संबंधी मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करने का कार्य।
- (23) प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गुरुघासी दास जयंती के अवसर पर दंडित बंदियों को विशेष परिहार स्वीकृत करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाना एवं शासन आदेश प्राप्त करने संबंधी कार्य।
- (24) राज्य की जेलों में निरुद्ध बंदियों के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग एवं भारत सरकार/राज्य शासन से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन भेजे जाने का कार्य।
- (25) छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 के अधीन राज्य की जेलों में निरुद्ध बंदियों के परिवीक्षाधीन मुक्ति प्रकरण जेलों से प्राप्त करना, संबंधित जिला दण्डाधिकारियों एवं जेल अधीक्षकों से अपूर्ण एवं लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कराना, कार्यालय में प्राप्त पूर्ण परिवीक्षाधीन प्रकरणों राज्य परिवीक्षा मण्डल की बैठकों में प्रस्तुत करना एवं शासनादेश जारी होने पर संबंधित जेलों को अवगत कराये जाने संबंधी कार्य।
- (26) राज्य की जेलों से प्राप्त होने वाले बंदियों के दया याचिका प्रकरणों का परीक्षण कर पूर्ण प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाना, शासनादेश प्राप्त होने पर संबंधित जेलों को अवगत कराना एवं समय समय पर शासन, राजभवन एवं बंदियों के परिजनों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों पर आगामी कार्यवाही कराये जाने संबंधी कार्य।
- (27) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गए प्रदेश की जेलों के निरीक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन का जेलों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।

- (28) राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग द्वारा किये गए प्रदेश की जेलों के निरीक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन शासन को भेजने का कार्य ।
- (29) प्रदेश की जेलों में संचालित उद्योगों हेतु बजट आबंटन करना एवं संचालित उद्योगों में कार्यरत/प्रशिक्षणरत बंदियों एवं उत्पादन व आय की जानकारी संकलित करना ।
- (30) जेलों में संचालित उद्योगों में निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं मेला/राष्ट्रीय पर्व पर योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्टाल लगाने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करना ।
- (31) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करना। साथ ही शासन को निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक /वार्षिक प्रतिवेदन भेजने संबंधी कार्य ।
- (32) जेलों में विविध प्रकार के निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य कराना एवं राज्य शासन की नवीन मद योजना के तहत निर्माण कार्य कराना ।
- (33) जेलों के आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002-07 से संबंधित कार्य (नवीन जेल निर्माण, जेलों का विस्तारीकरण, बंदी बैरक्स निर्माण, कर्मचारी आवास निर्माण, पेयजल/स्वच्छता निर्माण) एवं जेलों में मोबाईल जैमर की स्थापना, सुरक्षा उपकरणों का क्रय/आबंटन (भारत सरकार की यह योजना वर्ष 2006-07 के पश्चात् समाप्त हो गई है) ।
- (34) वित्त आयोग के अन्तर्गत जेलों से संबंधित कार्य (नवीन जेल निर्माण, जेलों का विस्तारीकरण, बंदी बैरक्स का निर्माण, कर्मचारी आवास निर्माण, पेयजल /स्वच्छता निर्माण) एवं जेलों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरणों के क्रय/आबंटन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने संबंधी कार्य ।
- (35) जेलों की सुरक्षा संबंधी कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश जारी करने संबंधी कार्य ।

- (36) प्रदेश की जेलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वार्षिक बजट/नवीन मद के प्रस्ताव तैयार किया जाकर शासन को प्रेषित कर पारित करना एवं बजट स्वीकृत होने पश्चात् समस्त जेलों को उनके मांग के अनुक्रम में बंदियों के भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वेतन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु राशि सौंपा जाना बजट नियंत्रण संबंधी समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाना।
- (37) प्रदेश की जेलों से स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर भंडार क्रय नियम एवं वित्तीय अधिकारों के आधार पर स्वीकृतियां जारी कराया जाना।
- (38) प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बीमार बंदियों हेतु आवश्यक दवाईयां क्रय किये जाने के लिए शासन द्वारा अधिकृत दवाई फर्मों की रेट लिस्ट के अनुसार जेलों से प्राप्त मांग पत्र संबंधित शासकीय उपक्रमों को प्रेषित किया जाना एवं प्राप्त दवाईयां संबंधित जेलों को प्रेषित किया जाना।
- (39) जेल मुख्यालय एवं प्रदेश की जेलों से प्राप्त आय व्यय पत्रक एकजाई किया जाना एवं जेल मुख्यालय एवं प्रदेश की जेलों द्वारा किये गये व्यय की राशि का मिलान महालेखाकार द्वारा प्रेषित जानकारी से कराया जाकर महालेखाकार को जानकारी प्रेषित किया जाना।
- (40) प्रत्येक केन्द्रीय जेलों में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण का कार्य।

अध्याय 7 (मैनुअल-6)

बोर्ड परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जेल विभाग के अन्तर्गत बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:—

- (अ) **छत्तीसगढ़ राज्य परिवीक्षा मंडल**— छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन मुक्ति नियम, 1964 के नियम 6 के उपनियम (5) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, जेल विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी. 88/जेल वि०/2000 रायपुर दिनांक 25 नवम्बर 2000 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परिवीक्षा मण्डल का गठन किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य परिवीक्षाधीन मुक्ति हेतु पात्र बंदियों के प्रकरणों पर विचार कर शासन को आवश्यक सिफारिश करना।
- (ब) **छत्तीसगढ़ राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड (स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड)**—छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 के नियम 358(1) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, जेल विभाग की अधिसूचना क्रमांक 206/जेल/2001 रायपुर, दिनांक 17/20 अप्रैल 2001 द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की अनुसंशा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में जेल विभाग के अन्तर्गत राज्य दण्डादेश पुनरीक्षण मण्डल (स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड) का गठन किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य आजीवन कारावास की सजा से दण्डादिष्ट बंदियों के समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों पर विचार कर शासन को आवश्यक सिफारिश करना।
- (स) **सलाहकार बोर्ड (मंत्रणा मण्डल)**— छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 359 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/तीन-जेल/2007 रायपुर, दिनांक 23.09.2010 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्रीय जेल— रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं दुर्ग के लिए 05 सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य आजीवन कारावास की सजा के अलावा अन्य किसी अवधि की सजा से दण्डादिष्ट बंदियों के समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों पर विचार कर शासन को आवश्यक सिफारिश करना।

(द) **जेल परिदर्शक बोर्ड**— छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 815(3) के अनुसार प्रत्येक जेल के अधिकारिक एवं अनाधिकारिक परिदर्शकों के मध्य से एक परिदर्शक बोर्ड चुने जाने संबंधी प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत जेल मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक 121/वारंट/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 18.04.2013 द्वारा राज्य की 27 जेलों के लिए परिदर्शक बोर्ड का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 817 के अनुसार जेलों में नियुक्त परिदर्शक को जेलों के एवं कैदियों के प्रबंधन में बनाये गये नियमों एवं कानूनों का जेल में पालन हो रहा है या नहीं और जेल के सभी भागों का निरीक्षण करना तथा बंदियों को देखने और किसी भी बंदी द्वारा की गई किसी शिकायत को सुनने एवं उसकी जांच करने, पुस्तक अथवा अन्य रिकार्ड को मंगाकर जांच करना, भोजन पकाने के लिए दी गई भोजन सामग्री की जांच एवं भंडारागार का भौतिक सत्यापन करना, जेल के भीतर प्रबंध के बारे में अपनी टिप्पणियां अथवा सुझाव पुस्तिका में दर्ज करना, निरीक्षण के दौरान ऐसे किसी बंदी के प्रकरण की जानकारी जो उसकी राय में राज्य शासन के ध्यान में लाना चाहिए तो उस प्रकरण को राज्य शासन के ध्यान में लायेगा, संबंधी प्रावधान है।

अध्याय 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

(अ) लोक सूचना प्राधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां:—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	कार्यालय का पता	निवास का पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री गिरिधारी नायक	महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	0771	2331702	4240005	2582422	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	सी-2/15 न्यू शांति नगर, रायपुर
2	डॉ. के.के. गुप्ता,	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर	0771	2582221	2442551, 2582923	2582422	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	डी-1, जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन रायपुर
3	श्री एस.एस. तिग्गा,	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	07752	228795, 224090	213097	224090	केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन बिलासपुर
4	श्री राजेन्द्र गायकवाड़	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	07782	222329, 221390	222566	221390, 222329	केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन जगदलपुर
5	श्री एन.के. टोप्पो	अधीक्षक (चालू प्रभार) केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	07774	222497, 236165	236166	222497	केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन अंबिकापुर
6	श्री अमित शांडिल्य	अधीक्षक (चालू प्रभार) केन्द्रीय जेल, दुर्ग	0788	2322964	2332231	2322964	केन्द्रीय जेल दुर्ग	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन दुर्ग
7	श्री जे.एल. मेश्राम	अधीक्षक (चालू प्रभार) जिला जेल राजनांदगांव	07744	224028	—	224028	जिला जेल राजनांदगांव	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन राजनांदगांव

8	श्री योगेश क्षत्री	अधीक्षक, जिला जेल दन्तेवाड़ा	07856	252216	—	252216	जिला जेल दन्तेवाड़ा	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन दन्तेवाड़ा
9	श्री आर.के. एस. केशर	अधीक्षक (चालू प्रभार) जिला जेल, बैकुण्ठपुर	07836	232229	—	232229	जिला जेल बैकुण्ठपुर	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन बैकुण्ठपुर
10	—	अधीक्षक, जिला जेल जशपुर	07763	223235	—	223235, 223115	जिला जेल जशपुर	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन जशपुर
11	श्री जी.एस. शोरी	अधीक्षक, (चालू प्रभार) जिला जेल रायगढ़	07762	222818	225158	222818	जिला जेल रायगढ़	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन रायगढ़
12	श्री एस.के. मिश्रा,	अधीक्षक, (चालू प्रभार) जिला जेल महासमुन्द	07723	222307	—	222307	जिला जेल महासमुन्द	—
13	डॉ. एस.के. राव	अधीक्षक, जिला जेल, कांकेर	07868	241169	—	241169	जिला जेल कांकेर	—
14	—	अधीक्षक, जिला जेल, जांजगीर	07817	222030	—	222030	जिला जेल जांजगीर	—
15	—	अधीक्षक, जिला जेल, धमतरी	07766	233155	—	233155	जिला जेल धमतरी	—
16	श्री डी.के. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर	अधीक्षक, जिला जेल, कोरबा	07759	228068, 223666	—	223666	जिला जेल कोरबा	—
17	—	अधीक्षक, उप जेल, बलौदाबाजार	07727	222877	—	222877	उप जेल बलौदाबाजार	—
18	—	अधीक्षक, उप जेल, गरियाबंद	07706	241336	—	241981	उप जेल गरियाबंद	—
19	—	अधीक्षक, उप जेल, बेमेतरा	07824	206335	—	222436	उप जेल बेमेतरा	—
20	डॉ. बी.एल.	अधीक्षक, उप	07749	222232	—	222232	उप जेल	—

	रात्रे	जेल, संजारी बालोद					संजारी बालोद	
21	—	अधीक्षक, उप जेल, डोंगरगढ़	07823	232942	—	232942	उप जेल डोंगरगढ़	—
22	—	अधीक्षक, उप जेल, कबीरधाम	07741	299123	—	232154	उप जेल कबीरधाम	—
23	डॉ. आर.एस. सिंह	अधीक्षक, उप जेल, सूरजपुर	07775	266493	—	266493	उप जेल सूरजपुर	—
24	डॉ. एच.एस. सिंह	अधीक्षक, उप जेल, मनेन्द्रगढ़	07771	203586	—	241841, 241016	उप जेल मनेन्द्रगढ़	—
25	डॉ. (श्रीमति) स्नेहलता तिर्की	अधीक्षक, उप जेल, रामानुजगंज	07779	276355	—	276587	उप जेल रामानुजगंज	—
26	—	अधीक्षक, उप जेल, पेन्द्रारोड	07751	220760	—	220760	उप जेल पेन्द्रारोड	—
27	—	अधीक्षक, उप जेल, कटघोरा	07815	250123	—	250123	उप जेल कटघोरा	—
28	—	अधीक्षक, उप जेल, सारंगढ़	07768	233147, 233080	—	233054	उप जेल सारंगढ़	—

(ब) अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां :-

क्र.	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	संबंधित कार्यालयों के नाम जिनके लिए अपीलीय अधिकारी नामित हैं	कार्यालय का पता	एसटी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	निवास का पता
					कार्यालय	आवास		
1	डॉ. के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक	(1) मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर (2) केन्द्रीय जेल रायपुर (3) उप जेल बलौदाबाजार (4) उप जेल गरियाबंद	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर एवं केन्द्रीय जेल रायपुर	0771	2582221, 2886313	2582923, 2442551	2582422, 2886027	डी-1, जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन रायपुर
2	श्री एस.एस. तिग्गा, जेल अधीक्षक	(1) केन्द्रीय जेल बिलासपुर (2) उप जेल पेन्द्रारोड (3) उप जेल कटघोरा (4) उप जेल सारंगढ़	केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	07752	228795	213097	224090	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन बिलासपुर
3	श्री राजेन्द्र गायकवाड़, जेल अधीक्षक	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	07782	222329	222566	221390, 222329	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन जगदलपुर
4	श्री एन.के. टोप्पो, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	(1) केन्द्रीय जेल अंबिकापुर (2) उप जेल सूरजपुर (3) उप जेल रामानुजगंज	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	07774	222497	236166	222497	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन अंबिकापुर

		(4) उप जेल मनेन्द्रगढ़							
5	श्री अमित शाडिल्य, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	(1) केन्द्रीय जेल दुर्ग (2) उप जेल संजारी बालोद (3) उप जेल बेमेतरा (4) उप जेल डोंगरगढ़ (5) उप जेल कबीरधाम	केन्द्रीय जेल दुर्ग	0788	2322964	2332231	2322964	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन दुर्ग	
6	श्री एस.के. मिश्रा, अधीक्षक, (चालू प्रभार) जिला जेल महासमुन्द	जिला जेल महासमुन्द	जिला जेल महासमुन्द	07723	222307	—	222307	—	
7	अधीक्षक, जिला जेल धमतरी	जिला जेल धमतरी	जिला जेल धमतरी	07722	233155	—	233155	—	
8	श्री जी.एस. शोरी अधीक्षक (चालू प्रभार) जिला जेल रायगढ़	जिला जेल रायगढ़	जिला जेल रायगढ़	07762	222818	225158	222818	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन रायगढ़	
9	अधीक्षक, जिला जेल कोरबा	जिला जेल कोरबा	जिला जेल कोरबा	07759	228068	—	223666	—	
10	श्री योगेश क्षत्री, जेल अधीक्षक	जिला जेल दन्तेवाड़ा	जिला जेल दन्तेवाड़ा	07856	252216	—	252216	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन दन्तेवाड़ा	
11	अधीक्षक, जिला जेल कांकेर	जिला जेल कांकेर	जिला जेल कांकेर	07868	241169	—	241169	—	
12	श्री जे.एल. मेश्राम, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार) जिला जेल राजनांदगांव	जिला जेल राजनांदगांव	जिला जेल राजनांदगांव	07744	224028	—	224028	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन राजनांदगांव	
13	श्री आर.के. एस. केशर, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार) जिला जेल बैकुण्ठपुर	जिला जेल बैकुण्ठपुर	जिला जेल बैकुण्ठपुर	07836	232229	—	232229	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन बैकुण्ठपुर	

14	जेल अधीक्षक जिला जेल जशपुर	जिला जेल जशपुर	जिला जेल जशपुर	07763	223235	—	223235	जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन जशपुर
15	जेल अधीक्षक, जिला जेल जांजगीर	जिला जेल जांजगीर	जिला जेल जांजगीर	07817	222030	—	222030	—

(स) जन सूचना अधिकारियों एवं सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम,
पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां:—

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री मनीष कुमार राठौर	विधि अधिकारी	0771	2331701	—	2582422	—	जेल मुख्यालय रायपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री आर. के. शर्मा	सहायक ग्रेड-01	0771	2331701	—	2582422	—	जेल मुख्यालय रायपुर

केन्द्रीय जेल रायपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री टी. आर. पटेल, अधीक्षक	उप जेल अधीक्षक	0771	2886027	—	2886027	—	केन्द्रीय जेल रायपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	—	मुख्य प्रहरी	0771	2886027	—	2886027	—	केन्द्रीय जेल रायपुर

जिला जेल महासमुन्द

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी								
1	श्री डी. डी. टोंडर	सहायक जेल अधीक्षक	07723	222307	-	-	-	जिला जेल महासमुन्द
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री लखन लाल कोसरिया	मुख्य प्रहरी	07723	222307	-	222307	-	जिला जेल महासमुन्द

जिला जेल धमतरी

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री आत्माराम कुंजाम	सहायक जेल अधीक्षक	07722	233155	-	233155	-	जिला जेल धमतरी
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री राजेन्द्र कुमार लकड़ा	मुख्य प्रहरी	07722	233155	-	233155	-	जिला जेल धमतरी

उप जेल बलौदाबाजार

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री डी. सी. ध्रुव	सहायक जेल अधीक्षक	07727	222877	-	222877	-	उप जेल बलौदाबाजार
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री किशन लाल नेताम	मुख्य प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक	07727	222877	-	222877	-	उप जेल बलौदाबाजार

उप जेल गरियाबंद

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री बाल्मिकी धुव	सहायक जेल अधीक्षक	07706	241336	—	241336	—	उप जेल गरियाबंद
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री आर. पी. साहू	मुख्य प्रहरी	07706	241336	—	241336	—	उप जेल गरियाबंद

केन्द्रीय जेल बिलासपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री एन. के. शर्मा	सहायक जेल अधीक्षक	07752	224090	—	224090	—	केन्द्रीय जेल बिलासपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री श्रीधर धुव	मुख्य प्रहरी	07752	224090	—	224090	—	केन्द्रीय जेल बिलासपुर

जिला जेल रायगढ़

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री जयप्रकाश भारद्वाज	मुख्य प्रहरी	07762	222818	—	222818	—	जिला जेल रायगढ़
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री श्रवण कुमार पैकरा	प्रहरी	07762	222818	—	222818	—	जिला जेल रायगढ़

जिला जेल कोरबा

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री के. एल. देशमुख	सहायक जेल अधीक्षक	07759	223666	—	228068	—	जिला जेल कोरबा
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री बुधियार सिंह	मुख्य प्रहरी	07759	223666	—	228068	—	जिला जेल कोरबा

जिला जेल जांजगीर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री एस. एल. जांगड़े	सहायक जेल अधीक्षक	07817	222030	—	222030	—	जिला जेल जांजगीर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री जगदीश शर्मा	मुख्य प्रहरी	07817	222030	—	222030	—	जिला जेल जांजगीर

उप जेल पेन्द्रारोड

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री ए.के. मर्सकोले	सहायक जेल अधीक्षक	07751	220760	—	220760	—	उप जेल पेन्द्रारोड
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री	मुख्य	07751	220760	—	220760	—	उप जेल

	अखिलेश पाण्डेय	प्रहरी						पेन्द्रारोड
--	-------------------	--------	--	--	--	--	--	-------------

उप जेल कटघोरा

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री एस. के. साहू	सहायक जेल अधीक्षक	07815	250123	—	250123	—	उप जेल कटघोरा
---	-------------------	-------------------	-------	--------	---	--------	---	---------------

सहायक जन सूचना अधिकारी

1	श्री स्वामीधीन बक्सरिया श्री एस. के. साहू	मुख्य प्रहरी	07815	250123	—	250123	—	उप जेल कटघोरा
---	---	--------------	-------	--------	---	--------	---	---------------

उप जेल सारंगढ़

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री आर. सी. ध्रुव	सहायक जेल अधीक्षक	07768	233080	—	233080	—	उप जेल सारंगढ़
---	--------------------	-------------------	-------	--------	---	--------	---	----------------

सहायक जन सूचना अधिकारी

1	श्री अशोक दीवान	मुख्य प्रहरी	07768	233080	—	233080	—	उप जेल सारंगढ़
---	-----------------	--------------	-------	--------	---	--------	---	----------------

केन्द्रीय जेल जगदलपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री एस. एल. नेताम	सहायक जेल अधीक्षक	07782	221390	—	221390	—	केन्द्रीय जेल जगदलपुर
---	--------------------	-------------------	-------	--------	---	--------	---	-----------------------

सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री अशोक कुमार साव	सहायक जेल अधीक्षक	07782	221390	—	221390	—	केन्द्रीय जेल जगदलपुर

जिला जेल कांकेर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री एल.के. पाण्डेय	सहायक जेल अधीक्षक	07868	241169	—	241169	—	जिला जेल कांकेर
---	------------------------	-------------------------	-------	--------	---	--------	---	--------------------

सहायक जन सूचना अधिकारी

1	श्री जयनारायण पुरोहित	मुख्य प्रहरी	07868	241169	—	241169	—	जिला जेल कांकेर
---	-----------------------------	-----------------	-------	--------	---	--------	---	--------------------

जिला जेल दन्तेवाड़ा

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री अलोईस कुजूर	सहायक जेल अधीक्षक	07856	252216	—	252216	—	जिला जेल दन्तेवाड़ा
---	------------------------	-------------------------	-------	--------	---	--------	---	------------------------

सहायक जन सूचना अधिकारी

1	श्री हितेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक जेल अधीक्षक	07856	252216	—	252216	—	जिला जेल दन्तेवाड़ा
---	------------------------------------	-------------------------	-------	--------	---	--------	---	------------------------

केन्द्रीय जेल अंबिकापुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी

1	श्री एम.	सहायक	07774	236165	—	222497	—	केन्द्रीय जेल
---	----------	-------	-------	--------	---	--------	---	---------------

	एन. प्रधान	जेल अधीक्षक						अंबिकापुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री आर. आर. मातलाम	सहायक जेल अधीक्षक	07774	236165	—	222497	—	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर

जिला जेल बैकुण्ठपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री प्रभात कुमार जैन	मुख्य प्रहरी	07836	232229	—	232229	—	जिला जेल बैकुण्ठपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री खुब चद अहार	मुख्य प्रहरी	07836	232229	—	232229	—	जिला जेल बैकुण्ठपुर

जिला जेल जशपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री मुकेश कुशवाहा	सहायक जेल अधीक्षक	07763	223235	—	223235	—	जिला जेल जशपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री विजय कुमार धुव	मुख्य प्रहरी	07763	223235	—	223235	—	जिला जेल जशपुर

उप जेल सूरजपुर

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								

1	श्री ए.के. शुक्ला	सहायक जेल अधीक्षक	07775	266493	—	266493	—	उप जेल सूरजपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री सन्नी अहलाद टोप्पो	मुख्य प्रहरी	07775	266493	—	266493	—	उप जेल सूरजपुर

उप जेल मनेन्द्रगढ़

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री एस. सी. भार्गव	सहायक जेल अधीक्षक	07771	203586	—	241016	—	उप जेल मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय	मुख्य प्रहरी	07771	203 586	—	241016	—	उप जेल मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया

उप जेल रामानुजगंज

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री जी. एस. मरकाम	सहायक जेल अधीक्षक	07779	276355	—	276382	—	उप जेल रामानुजगंज
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री सदाराम सिदार	मुख्य प्रहरी	07779	276355	—	276382	—	उप जेल रामानुजगंज

केन्द्रीय जेल दुर्ग

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

जन सूचना अधिकारी								
1	श्रीमति एस. शोभारानी	सहायक जेल अधीक्षक	0788	2322964	—	2322964	—	केन्द्रीय जेल दुर्ग
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्रीमति रेणु ध्रुव	सहायक जेल अधीक्षक	0788	2322964	—	2322964	—	केन्द्रीय जेल दुर्ग

जिला जेल राजनांदगांव

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री महेश राम कैवत्य	मुख्य प्रहरी	07744	224028	—	224028	—	जिला जेल राजनांदगांव
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री चुरामन लाल साहू	मुख्य प्रहरी	07744	224028	—	224028	—	जिला जेल राजनांदगांव

उप जेल बेमेतरा

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री एस. पी. कुर्रे	सहायक जेल अधीक्षक	07824	206335	—	222436	—	उप जेल बेमेतरा
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री राधिका प्रसाद टंडन	मुख्य प्रहरी	07824	206335	—	222436	—	उप जेल बेमेतरा

उप जेल संजारी बालौद

क.	नाम	पदनाम	एस.	दूरभाष	फैक्स	ई०	पता
----	-----	-------	-----	--------	-------	----	-----

सं.			टी. डी. कोड	कार्यालय	आवास		मेल	
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री उत्तम कुमार पटेल	सहायक जेल अधीक्षक	07749	222232	—	222232		उप जेल संजारी बालौद
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री सै. मुनीरुद्दीन	मुख्य प्रहरी	07749	222232	—	222232	—	उप जेल संजारी बालौद

उप जेल डोंगरगढ़

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री पंकज पाण्डेय	सहायक जेल अधीक्षक	07823	232942	—	232942	—	उप जेल डोंगरगढ़
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री सीता राम ध्रुव	मुख्य प्रहरी	07823	232942	—	232942	—	उप जेल डोंगरगढ़

उप जेल कबीरधाम

क. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई० मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
जन सूचना अधिकारी								
1	श्री एस. आर. ठाकुर	सहायक जेल अधीक्षक	07741	299123	—	232154	—	उप जेल कबीरधाम
सहायक जन सूचना अधिकारी								
1	श्री देव नाथ गिलहरे	मुख्य प्रहरी	07741	299123	—	232154	—	उप जेल कबीरधाम

अध्याय 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

1. नीतिगत विषयों पर नियमों में विहित प्रावधान अनुसार जेल अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर निर्णय लिया जाता है तथा शेष मामलों में जिनमें शासनादेश/शासन स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करना होता है उनमें शासन को प्रस्ताव भेजकर शासनादेश/स्वीकृति/अनुमति प्राप्त की जाती है।
2. वित्त संबंधी विषयों में नियमानुसार जेल अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर कार्यवाही की जाती है। शेष मामलों में वित्तीय निर्देश अनुसार जिनमें शासनादेश /शासन स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करना होता है उनमें शासन को प्रस्ताव भेजकर शासनादेश/स्वीकृति/अनुमति प्राप्त की जाती है।
3. विधि व नियम संबंधी मामलों में आवश्यकतानुसार शासन को प्रस्ताव भेजकर शासनादेश/स्वीकृति/अनुमति/मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।

अध्याय 10 (मैनुअल-9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

**मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर
के अधिकारियों के दूरभाष संबंधी जानकारी**

क्र०	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता	निवास का पता	कार्यालय दूरभाष	आवास एवं मोबाईल नंबर	फैक्स नंबर
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
1.	श्री गिरिधारी नायक, भा०पु०से० महानिदेशक	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	सी-2/15 भांति नगर, रायपुर	0771- 2331702	0771- 4240005 94255- 09080	0771- 25824 22
2.	डॉ०के०के० गुप्ता, उपमहानिरीक्षक जेल	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	डी-1, जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन, रायपुर	0771- 2582221	0771- 2442551 0771- 2582923 94255- 82219	0771- 25824 22
3.	श्री रामरतन बांधे, वित्त अधिकारी	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	एफ 316 जी.ए. डी. काम्पलेक्स कबीर नगर रायपुर छ.ग.	0771- 2331701	96857- 01134	0771- 25824 22
4.	श्री आर०के० शुक्ला, मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	म. नं.- 315 रविनगर रायपुर छत्तीसगढ़	0771- 2331701	94255- 22242	0771- 25824 22
5.	श्री मनीष कुमार राठौर, विधि अधिकारी	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	एफ-1, जेल आवासीय परिसर, जेल लाईन, रायपुर	0771- 2331701	98274- 76032	0771- 25824 22
6.	श्री जे.एल. कचलरिया, निज सहायक महानिदेशक जेल	मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ०ग० रायपुर	जी.-3, केन्द्रीय जेल लाईन रायपुर	0771- 2331702	99261- 37379	0771- 25824 22

छ0ग0 राज्य के जेलों के जेल अधीक्षक एवं सहायक जेल अधीक्षक के दूरभाष से संबंधित जानकारी

क0	नाम एवं पदनाम	निवास एवं कार्यालय का पता	कार्यालय एवं जेल गेट दूरभाष	आवास एवं मोबाईल नंबर	फैक्स नंबर
1.	डॉ0के0के0 गुप्ता, उपमहानिरीक्षक एवं जेल अधीक्षक	केन्द्रीय जेल रायपुर	0771-2886313 (O) 0771-2886027 (G)	0771-2582923 (R) 94255-82219 (M)	0771-2886027
2.	श्री राजेन्द्र गायकवाड़, जेल अधीक्षक	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	07782-222329 (O) 07782-221390 (G)	07782-222566 (R) 99778-98600 (M)	07782-221390 07782-222329
3.	श्री अमित शांडिल्य, जेल अधीक्षक (इंचार्ज)	केन्द्रीय जेल दुर्ग	0788-2322964	0788-2332231 (R) 99267-09353 (M)	0788-2322964
4.	श्री एस.एस. तिग्गा, जेल अधीक्षक	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	07752-228795 (O) 07752-224090 (G)	07752-213097 (R) 98263-92400 (M)	07752-224090
5.	श्री एन0के0 टोप्पो, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर	07774-222497 (O) 07774-236165 (G)	07774-236166 (R) 94252-20720 (M)	07774-222497
6.	श्री योगेश क्षत्री, जेल अधीक्षक	जिला जेल दंतेवाड़ा	07856-252216	94252-27057	07856-252216
7.	श्री, जी0एस0 शोरी जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	जिला जेल रायगढ़	07762-222818	07762-225158 (R)	07762-222818
8.	श्री के0एल0 देशमुख, सहायक जेल अधीक्षक	जिला जेल कोरबा	07759-228068 (O) 07759-223666 (G)	98264-18604	07759-223666
9.	जेल अधीक्षक	जिला जेल जशपुर	07763-223235	—	07763-223235 07763-223115 (T)
10.	श्री आर0के0एस0 केशर,	जिला जेल	07836-232229	98261-67488	07836-2322

	जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	बैकुण्ठपुर			29
11.	श्री जे०एल० मेश्राम, जेल अधीक्षक (चालू प्रभार)	जिला जेल राजनांदगांव	07744-224028	94255-60117	07744-224028
12.	श्री एल०के० पांडे, सहायक जेल अधीक्षक	जिला जेल कांकेर	07868-241169	94252-46021	07868-241169
13.	श्री एस.के. मिश्रा, अधीक्षक, (चालू प्रभार)	जिला जेल महासमुद	07723-222307	9826765955	07723-222307 07723-222941 (T)
14.	श्री आत्मा राम कुंजाम, सहायक जेल अधीक्षक	जिला जेल धमतरी	07722-233155	—	07722-233155 07722-236331 (T)
15.	श्री एस.एल जांगडे, सहायक जेल अधीक्षक	जिला जेल जांजगीर	07817-222030	89595-62159	07817-222030
16.	श्री डी०सी० ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल बलौदाबाजार	07727-222877	98930-43150	07727-222877
17.	श्री बाल्मिकी ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल गरियाबंद	07706-241336	---	07706-241981 (T)
18.	श्री ए.के. मर्सकोले, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल पेण्डारोड़	07751-220760	98271-74120	07751-220760
19.	श्री एस०के० साहू, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल कटघोरा	07815-250123	94255-98268 80858-93300	07815-250123
20.	श्री जी०एस० मरकाम, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल रामानुजगंज	07779-276355	98938-64001	07779-276587
21.	श्री ए०के० भुक्ला, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल सूरजपुर	07775-266493	94255-55682	07775-266493
22.	श्री एस.सी. भार्गव, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल मनेन्द्रगढ़	07771-203586	---	07771-241841 (T) 07771-241016 (T)
23.	श्री यू०के० पटेल, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल संजरी बालोद	07749-222232	---	07749-222232
24.	श्री एस०पी० कुर्रे, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल बेमेतरा	07824-206335	94255-15329 99939-00656	07824-222436 (T)
25.	श्री पंकज पांडे, सहायक	उप जेल	07823-232942	94242-79687	07823-2329

	जेल अधीक्षक	डोगरगढ़			42
26.	श्री आर०सी० ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल सांरगढ़	07768-233147 (T) 07768-233080	94061-21129	07768-2330 54 (T)
27.	श्री एस०आर० ठाकुर, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल कबीरधाम	07741-299123	98261-80646	07741-2321 54 (T)
28.	श्री जे.एल. पुरैना,, सहायक जेल अधीक्षक	उप जेल सक्ती	---	97532-13157

मुख्यालय एवं जेलों के स्वान नंबर (आई०पी० फोन)

एवं ई-मेल आई०डी० से संबंधित जानकारी

क्र०	मुख्यालय एवं जेल	स्वान नंबर	ई०मेल आई०डी०
1.	महानिदेशक जेल	201126	Jailhqr-cg@nic.in
2.	उ०म०नि० जेल	201212	Jailhqr-cg@nic.in
3.	केन्द्रीय जेल रायपुर	201075	raipurjail@gmail.com
4.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	211213	Jdr.jail@gmail.com
5.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	331211	centraljaildurg.cg.@nic.in
6.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	-	centraljailbilaspur@yahoo.com
7.	केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर	281216	cjambikapur@email.com
8.	जिला जेल दंतेवाड़ा	311219	jail.dantewada@gmail.com
9.	जिला जेल रायगढ़	371211	distt.j.rgh@gmail.com
10.	जिला जेल कोरबा	-	disttjailkorba.@gmail.com
11.	जिला जेल जशपुर	321216	--
12..	जिला जेल बैकुण्ठपुर	-	jilajailbkh@gmail.com
13.	जिला जेल राजनांदगांव	271026	distt.jailrjn@gmail.com
14.	जिला जेल कांकेर	351113	distt.jailkanker@gmail.com
15.	जिला जेल महासमुद	161217	d.d.Tondar.asp.@gmail.com (T)
16.	जिला जेल धमतरी	321217	disttjaildhamtari@gmail.com
17.	जिला जेल जांजगीर	-	--

18.	उप जेल बलौदाबाजार	202227	subjailbalodabazar@gmail.com
19.	उप जेल गरियाबंद	201549	gariyabandjail@gmail.com
20.	उप जेल पेण्डारोड	—	--
21.	उप जेल कटघोरा	—	subjail.katghora@gmail.com
22.	उप जेल रामानुजगंज	—	--
23.	उप जेल सूरजपुर	283225	supritendent.subjail.surajpur@gmail.com
24.	उप जेल मनेन्द्रगढ़	—	subjailmanendragarh@gmail.com
25.	उप जेल संजरी बालोद	—	--
26.	उप जेल बेमेतरा	232126	--
27.	उप जेल डोगरगढ़	271212	supdt.jaild.gg@gmail.com
28.	उप जेल सांरगढ़	—	--
29.	उप जेल कबीरधाम	—	--

अध्याय 11 (मैनुअल-10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक
पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक
(परिवर्तनीय)

क.	नाम	पदनाम	वेतनमान (पे बैंड + ग्रेड पे)	पारितोषि क/ परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	डॉ. के.के. गुप्ता	जेल उप महानिरीक्षक	15600— 39100+ 7600	निरंक	शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार
2	श्री आर.आर. बांधे	वित्त अधिकारी	15600— 39100+ 5400	निरंक	—तदैव—
3	श्री आर.आर. शुक्ला	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	15600— 39100+ 5400	निरंक	—तदैव—
4	श्री मनीष कुमार राठौर	विधि अधिकारी	15600— 39100+ 5400	निरंक	—तदैव—
5	श्री जे. एल. कचलरिया	शीघ्र लेखक	9300— 34800+ 4400	निरंक	—तदैव—
6	श्री प्रशांत आचार्य	कार्यालय अधीक्षक	9300— 34800+ 4300	निरंक	—तदैव—
7	श्री आर.के. शर्मा	सहायक ग्रेड-01	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
8	श्री पी.के. कश्यप	सहायक ग्रेड-01	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
9	श्री के.एस. नेगी	सहायक ग्रेड-01	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—

10	श्री आर.के. वासनिक	सहायक ग्रेड-01	5200- 20200+ 2800	निरंक	-तदैव-
11	श्री एस.के. शुक्ला	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	5200- 20200+ 2800	निरंक	-तदैव-
12	श्री एस.के. अवस्थी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	5200- 20200+ 2800	निरंक	-तदैव-
	श्री के.के. तम्बोली	लेखापाल	5200- 20200+ 2400	निरंक	
13	श्री एस.के. जांगडे	लेखापाल	5200- 20200+ 2400	निरंक	-तदैव-
14	श्री चिरायु झा	लेखापाल	5200- 20200+ 2400	निरंक	-तदैव-
15	श्रीमति मथिल्दा तिर्की	सहायक ग्रेड-02	5200- 20200+ 2400	निरंक	-तदैव-
16	श्री अनिल रंगारी	सहायक ग्रेड-02	5200- 20200+ 2400	निरंक	-तदैव-
17	श्रीमति प्रेमलता महानंद	सहायक ग्रेड-02	5200- 20200+ 2400	निरंक	-तदैव-
18	श्री निमिष जोशी	सहायक ग्रेड-03	5200- 20200+ 2800	निरंक	-तदैव-
19	श्री गोरेलाल कचवाहे	सहायक ग्रेड-03	5200- 20200+ 1900	निरंक	-तदैव-
20	श्री राकेश जगताप	सहायक ग्रेड-03	5200- 20200+ 1900	निरंक	-तदैव-
21	कु. कुसुमलता पाल	सहायक ग्रेड-03	5200- 20200+ 1900	निरंक	-तदैव-

22	श्री दीपक तम्बोली	मुख्य प्रहरी	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
23	श्री मीनकेतन साहू	मुख्य प्रहरी	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
24	श्री हृदय सिंह ध्रुव	मुख्य प्रहरी	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
25	श्री कासिम रजा	वाहन चालक	5200— 20200+ 2800	निरंक	—तदैव—
26	श्री हेम कुमार ध्रुव	वाहन चालक	5200— 20200+ 1900	निरंक	—तदैव—
27	श्री लखन लाल साहू	जमादार	5200— 20200+ 1800	निरंक	—तदैव—
28	श्री माखन लाल वाडिवा	भृत्य	4750— 7440+ 1400	निरंक	—तदैव—
29	श्री राजेश कुमार शुक्ला	भृत्य	4750— 7440+ 1400	निरंक	—तदैव—
30	श्रीमति शिवकुमारी पिथौरा	भृत्य	4750— 7440+ 1400	निरंक	—तदैव—

अध्याय 12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

राज्य की मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं तथा जेलों हेतु मांग संख्या 05 के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं में बजट प्रावधान किया जाता है:-

- (1) योजना क्रमांक 2272— मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालयीन व्यय हेतु प्रावधान सामिल किया जाता है।
- (2) योजना क्रमांक 938— माननीय न्यायालयों के आदेशों के परिपालन में प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है तथा बंदियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने/बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा नियंत्रण/ स्थापना में होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल किया जाता है।
- (3) योजना क्रमांक 1529— जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत नवीन जेलों के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार,आवास निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता में होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल किया जाता है। उक्त राशि से बंदियों एवं जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- (4) योजना क्रमांक 1524— बंदियों के हित में प्रदेश की विभिन्न जेलों में उद्योग स्थापित हैं जिनमें बंदियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो बंदियों के जेल से रिहा होने के पश्चात् उनके जीविकोपार्जन में सहायक होता है। जेलों में संचालित उद्योगों हेतु कच्चे माल के क्रय के लिए होने वाले व्यय का प्रावधान किया जाता है।

अध्याय 13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

---- निरंक ----

अध्याय 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापनों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण:—

जेल विभाग के नियमों के अन्तर्गत रियायतें, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:—

- (अ) छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 के नियम 1989 के अन्तर्गत बंदियों को छुट्टी एवं आपात छुट्टी।
- (ब) छत्तीसगढ़ परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 के अन्तर्गत बंदियों की परिवीक्षाधीन मुक्ति।
- (स) भारतीय संविधान की धारा 72 एवं 161 के अधीन बंदियों की सजा माफी, निलंबन अथवा लघुकरण हेतु छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 के नियम 775 के अन्तर्गत कार्यवाही।
- (द) छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 के नियम 361, 362 एवं 363 के अधीन बंदियों की चिकित्सा आधार पर समय पूर्व मुक्ति।
- (इ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121, 132, 302, 305, 307 तथा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दण्डादिष्ट बंदियों की छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 358 के तहत समय पूर्व मुक्ति।
- (फ) आजीवन कारावास की सजा से कम अवधि के लिए दण्डादिष्ट बंदियों की छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 359 के तहत समय पूर्व मुक्ति।
- (ज) छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 711 के तहत बंदियों को विशेष परिहार।
- (ह) छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 714 के तहत बंदियों को राज्य परिहार।

अध्याय 15 (मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

जेल विभाग के अन्तर्गत निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लायी जाने वाली कार्य प्रणाली मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, तथा राज्य की जेलों द्वारा निम्नांकित अधिनियमों, नियमों एवं निर्देशों के अधीन किया जाता है:—

- (1) कारागार अधिनियम, 1894
- (2) बंदियों का स्थानान्तरण अधिनियम, 1950
- (3) छत्तीसगढ़ बोस्टल अधिनियम, 1928
- (4) छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन मुक्ति अधिनियम, 1954
- (5) बंदी अधिनियम, 1900
- (6) बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955
- (7) बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1985
- (8) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000
- (9) छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968
- (10) छत्तीसगढ़ जेल पूर्ति नियम, 1968
- (11) छत्तीसगढ़ निरोध आदेश, 1971
- (12) छ0ग0 बंदी (कारागार में निरूद्ध बंदियों का स्थानान्तरण) आदेश, 1968
- (13) छत्तीसगढ़ बोस्टल नियमावली, 1960
- (14) छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियमावली, 1964
- (15) छत्तीसगढ़ दण्डादेश निलंबन नियम, 1971
- (16) छत्तीसगढ़ बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958
- (17) छत्तीसगढ़ बंदी छुट्टी नियम, 1989

- (18) छत्तीसगढ़ निरुद्ध व्यक्ति (निरोध की शर्तें) नियम, 1997
- (19) छ0ग0 कारागार में परिरुद्ध पागल अपराधी का उपचार नियम, 2000
- (20) जेल महानिरीक्षक द्वारा बनाये गये नियम
- (21) छ.ग. की जेलों में आपराधिक बंदियों के परिरोध संबंधी सामान्य निर्देश
- (22) विविध विषयों से संबंधित निर्देश
- (23) सेवा की वेशभूषा संबंधी निर्देश
- (24) वेशभूषा का प्रयोग संबंधी निर्देश
- (25) शस्त्र गोला—बारूद रखरखाव एवं प्रयोग पैमाना संबंधी निर्देश
- (26) युद्ध (मिलिट्री) प्रशिक्षण संबंधी निर्देश
- (27) प्रतिभूति एवं प्रतिभूति बंध—पत्र संबंधी निर्देश
- (28) छ.ग. राजपत्रित जेल सेवा भर्ती नियम, 2008
- (29) छ.ग. अराजपत्रित (गैर लिपिक एवं लिपिकीय वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009
- (30) छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965
- (31) छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966
- (32) छ.ग. अवकाश नियम, 2010

अध्याय 16 (मैनुअल-15)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

- (1) जेल विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ0ग0 रायपुर में विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी के प्रदर्शन हेतु पृथक से वेबसाईट www.jail.cg.gov.in का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से विभाग की गतिविधियों की समसामायिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। विभागीय e-mail ID "jailhqr-cg.@nic.in" के द्वारा भी जनता हेतु सम्पर्क सूत्र बनाया गया है।

अध्याय 17 (मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

जेल विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर द्वारा विभागीय जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जनता हेतु उपलब्ध कराने बाबत विभागीय वेबसाईट जारी की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभागीय गतिविधियों एवं उपलब्धियों से संबंधित सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराई जाती है। जनता द्वारा सूचना मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ0ग0 रायपुर तथा प्रदेश की समस्त जेलों में सहायक जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये गए हैं जिनके नाम संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर अंकित हैं। इसके अतिरिक्त जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए राज्य की प्रत्येक जेल के कार्यालय परिसर में सूचना पटल लगाये गये हैं जहाँ आवश्यक सूचनाएं अंकित की जाती है।

अध्याय 18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

जेल विभाग द्वारा विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं विकास से संबंधित जानकारी आम जनता को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है साथ ही इसे विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।